पं.

कार्यालय ग्राम पंचायत गलोन्डा

विकासखण्ड एवं जनपद पंचायत देपालपुर, जिला–इन्दौर (म.प्र.) पिन : 453 001

पत्र क्रमांक 294 दिनांक 6/5/2017

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मे. प्रिमीयर प्रोडक्ट तर्फे पार्टनर अंशुल चौहान पिता श्री सुरेश चौहान, निवासी DF 56 Sch No 54 विजय नगर इन्दौर (म.प्र.) द्वारा ग्राम पंचायत, गलोन्डा में आवेदन प्रस्तुत किया गया की स्वयं की भूमि सर्वे नं 72/1, मुरादपुरा रकबा 0.184 हेक्टेयर, ग्राम मुरादपुरा तह. देपालपुर जिला इन्दौर पर स्थित है। उक्त भूमि पर अनापत्ती तथा मानचित्र स्वीकृत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

इनके द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश प्रन्यास से अनापत्ती प्रमाण पत्र की सारी औपचारिकता पूरी कर ली गई है। इनके द्वारा अनापत्ती प्रमाण पत्र हेतु चेक क्र: 134669 राशी 5000/- एवं नक्शा स्वीकृती हेतु चेक क्र 134670 राशी 1000/- ग्राम पंचायत गलोन्डा में जमा किया गया।

अतः इनके द्वारा उक्त भूमि पर औद्योगिक स्थापना की जाती है तो ग्राम पंचायत गलोन्डा को कोई आपत्ती नहीं है। तथा मानचित्र स्वीकृत किया जाता है।

कलाबाई

सरपंच

ग्राम पंचायत, गलोन्डा

तह. देपालपुर, जिला इन्दौर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुभाग-देपालपुर, जिला इन्दौर म०प्र०

(11)

(डायवर्शन, पुनर्निर्धारण आदेश की सूचना)
(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के अंतर्गत)
(कलेक्टर महोदय की भूमि परिवर्तन शाखा के आदेश कमांक 678 दिनांक 31.05.2002)
(प्रकरण कमांक 91 / अ–2 / 2016–17 आदेश दिनांक 27/5/17)

भूमि स्वामी / आवेदकगण का नाम – प्रीमियर प्रोडक्टस तर्फे पार्टनर जय पिता राजेश चौरडिया
पताः– 6 / 7 वाय.एन.रोड इन्दौर
अंजली पति अजयसिंह वसूदी
पताः–- 1437 स्किम न. 114 पार्ट 1 विजय नगर ईन्दौर

ग्राम जिसमें भूमि स्थित है – ग्राम मुरादपुरा तहसील देपालपुर जिला इन्दौर
सर्वे नंबर – 72 / 1
कुल रकबा – 0.104
आवेदित भूमि का प्रयोजन – औद्योगिक प्रयोजन ।
भू–राजस्व का पुर्ननिर्धारण – ग्राम मुरादपुरा तहसील देपालपुर, स्थित आवेदित भूमि पर भू–राजस्व का पुनर्निर्धारण रूपये **1448** / – पचांयत उपकर रुपये **724** / प्रतिवर्ष, वर्ष 2016–17 से तथा प्रीमियम रूपये **7239** / – कायम किया जाता है।

(नरेन्द्र पाण्डेय)
अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
अनुभाग–देपालपुर, जिला इन्दौर
देपालपुर, दिनांक 27/5/17

पृ0 कमांक / 1139 / री–1 / 2017
प्रतिलिपि–
1. कलेक्टर (भूमि परिवर्तन–कम्प्यूटर शाखा) जिला इन्दौर की ओर उक्त आदेश अमल दरामद हेतु।
2. जिला पंजीयक / उप पंजीयक, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर की और डायवर्शन आदेश अमल दरामद हेतु ।
3. अधीक्षक भूमि परिवर्तन / राजस्व निरीक्षक, ग्राम मुरादपुरा तहसील देपालपुर जिला इन्दौर की ओर डायवर्शन बी–1 में डायवर्शन आदेश अमल दरामद कर वसूली हेतु प्रेषित ।
4. नायब तहसीलदार, टप्पा बेटमा तहसील देपालपुर जिला इन्दौर की ओर पटवारी रेकार्ड में अमल दरामद हेतु।
5. पटवारी ग्राम मुरादपुरा, तहसील देपालपुर की ओर रेकार्ड में अमल दरामद हेतु।
6. आवेदक– प्रीमियर प्रोडक्टस तर्फे पार्टनर जय पिता राजेश चौरडिया पताः– 6 / 7 वाय.एन.रोड इन्दौर अंजली पति अजयसिंह वसूदी पताः– 1437 स्किम न. 114 पार्ट 1 विजय नगर ईन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालन हेतु।

27/5/17
(नरेन्द्र पाण्डेय)
अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
अनुभाग–देपालपुर, जिला इन्दौर

0717/2775/...

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)–अनुभाग देपालपुर
जिला इन्दौर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 91 /अ–2/16–17

प्रीमियर प्रोडक्टस तर्फे पार्टनर

जय पिता राजेश चौरडिया

पताः– 6/7 वाय.एन.रोड इन्दौर

अंजली पति अजयसिंह वसूदी

पताः– 1437 स्किम न. 114 पार्ट 1 विजय नगर ईन्दौर

– :: आदेश :: –

(पारित दिनांक-27/6/17)

(मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अंतर्गत)

प्रकरण में आवेदक द्वारा ग्राम मुरादपुरा तहसील देपालपुर जिला इंदौर स्थित भूमि सर्वे नं 72/1 कुल रकबा 0.104 हे0 भूमि को मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अंतर्गत औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तित करने के आशय से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । आवेदन पत्र के साथ खसरा बी–1 व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये ।

राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम भूमि स्वामी स्वत्व के रूप में अंकित होने पर प्रकरण में व्यपवर्तन की अनुज्ञा जारी किये जाने के प्रश्न पर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इंदौर, कार्यालय ग्रांम पंचायत मुरादपुरा कार्यालय नायब तहसीलदार टप्पा गौतमपुरा तहसील देपालपुर एवं अधीक्षक भूमि परिवर्तन को प्रतिवेदन/ अनापत्ति पत्र प्रेषित करने हेतु पत्राचार किया गया ।

1. कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्रांम निवेश (टीएनसीपी) विभाग जिला इन्दौर द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र क्रमांक/3313/एसपी/आउट–39/17/नग्रानि/2017 इन्दौर दिनांक 2.5.2017 से ग्राम मुरादपुरा स्थित भूमि सर्वे नम्बरान 72/1 कुल रकबा 0.104 हे0 की आवेदित भूमि पर औद्योगिक प्रयोजन हेतु नक्शा अनुमोदित किया जाकर अभिमत सहित पत्र प्रेषित किया गया है जो संलग्न प्रकरण है।

अनुविभागीय अधिकारी
देपालपुर

प्रकरण क्रमांक 91 / अ–2 / 16–17

2. आवेदकगणो की ओर से न्यायालय के समक्ष नोटरीकृत शपथ पत्र क्रमांक 12910 दिनांक 12.5.2017 व शपथ पत्र क्रमांक 13829 दिनांक 24.5.2017 प्रस्तुत, प्रकरण में सलग्न तदनुसार आवेदित सर्वे नम्बरान के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नही है, तथा आवेदित प्रयोजन अनुसार ही उपयोग किया जावेगा, उल्लेखित किया गया है ।

3. कार्यालय नायब तहसीलदार टप्पा बेटमा द्वारा पत्र क्रमांक / 667 / री–1 / 2016 देपालपुर दिनांक 12.5.17 से प्रतिवेदन निम्न बिन्दुओ पर पेश किया गया :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि में कोई शासकीय य अन्य कोई भूमि समाहित नही है।

(2) प्रश्नाधीन भूमि के बटांकन पटवारी नक्शे से मिलान होता है।

(3) प्रश्नाधीन भूमि मौके पर रिक्त होकर फसल बोई है ।

(4) प्रश्नाधीन मौके पर निर्माण एवं विकास कार्य नही है।

(5) प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1925–26 में जगन्नाथ ब.न. 5 दर्ज है। निजी है ।

(7) प्रश्नाधीन भूमि अवैध कालोनी का भाग नही है।

(8) प्रश्नाधीन भूमि पर धार्मिक स्थल / मंदिर / मस्जिद / गुरुद्वारा / चर्च नही है।

(9) प्रश्नाधीन भूमि पर शमशान / कब्रस्थान / मरघट नही है।

(10) प्रश्नाधीन भूमि पर कुआ–तालाब, बाउड्री, नदी, नाला नही है।

(11) प्रश्नाधीन भूमि पर आसपास स्थित शासकीय भूमि / नदी / राष्ट्रीय राजमार्ग नही है। भूमि ग्रामीण मार्ग पर है ।

4. कार्यालय ग्राम पंचायत मुरादपुरा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 294 दिनांक 6.5.2017 से आवेदित सर्वे नम्बरान की भूमि पर औद्योगिक प्रयोजन हेतू व्यपवर्तन बाबद् अनापत्ति प्रेषित की गई है जो शामिल प्रकरण है ।

5. राजस्व निरीक्षक भूमि परिवर्तन से प्रकरण में आवेदित भूमि की जांच कर प्रतिवेदन लिया गया । रा0नि0 भूमि परिवर्तन द्वारा अपने प्रतिवेदन में बताया कि–

(1) प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान खसरे में निजी भूमि दर्ज है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि का मौके पर नक्शे से मिलान होता है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि पर कोई विकास / निर्माण कार्य नहीं है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि पर पडत है।

(5) प्रश्नाधीन भूमि का इस न्यायालय में कोई प्रकरण प्रचलित नहीं है ।

प्रकरण क्रमांक 91 / अ–2 / 16–17

(6) प्रश्नाधीन भूमि अवैध कालोनी का भाग नही है।

6. **ग्राम मुरादपुरा तहसील देपालपुर जिला इंदौर** की शासन द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु पुनः निर्धारण हेतु स्वीकृत दर कृषि भूमि के बाजार मूल्य का 0.2 प्रतिशत एवं प्रीमियम की दर 1 प्रतिशत निर्धारित है। तदनुसार आवेदित भूमि सर्वे नं 72/1 कुल रकबा 0.104 हे0 औद्योगिक प्रयोजन हेतु अनुमोदित होने के कारण परिगणित बाजार मूल्य रुपये 7,23,840/– का 0.2 प्रतिशत के अनुसार पुनः निर्धारण राशि रुपये 1,448/– रुपये प्रतिवर्ष, वर्ष 2016–17 से, प्रीमीयम रुपये 7,239/– तथा प्रकरणाधीन भूमि ग्राम पंचायत क्षेत्र में होने के कारण पंचायत उपकर राशि रुपये 724/– प्रतिवर्ष, वर्ष 2016–17 से कायम किया जाना रा0नि0 भूमि परिवर्तन द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रस्तावित किया गया है ।

अतएव राजस्व निरीक्षक भूमि परिवर्तन के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम मुरादपुरा तहसील देपालपुर जिला इंदौर स्थित भूमि सर्वे नं 72/1 कुल रकबा 0.104 में से भूमि पर भू–राजस्व का पुनःनिर्धारण रुपये 1448/– प्रतिवर्ष, वर्ष 2016–17 से, एवं प्रीमियम राशि रुपये 7239/– तथा पंचायत उपकर राशि रुपये 724/– प्रतिवर्ष, वर्ष 2016–17 से कायम कर प्रकरण में आवेदित कृषि भूमि पर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अंतर्गत औद्योगिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित करने की अनुज्ञा निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:–

1. प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर कृषि भिन्न उपयोग, औद्योगिक प्रयोजन हेतु ही किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त अन्य उपयोग नहीं किया जा सकेगा ।
2. प्रार्थी द्वारा प्रकरण में कायम पुनर्निर्धारण/प्रीमियम/पंचायत की राशि आदेश दिनांक से एक माह के अंदर शासकीय कोष में जमा कराना होगा ।
3. भू स्वामी स्वत्व संबंधी कोई विवाद होने पर या गलत जानकारी पाये जाने पर व्यपंवर्तन की स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी ।
4. यदि प्रार्थी को इस अनुज्ञा के अतिरिक्त किसी भी शासकीय/अर्द्ध शासकीय विभागो/संस्थानों से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक हो तो वह भी प्राप्त करना होगी । इसके बाद ही मौके पर विकास निर्माण किया जा सकेगा ।
5. प्रार्थी द्वारा भवन निर्माण की अनुमति ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय से प्राप्त करना होगी उसके बाद ही मौके पर विकास/निर्माण किया जा सकेगा।

अधिकारी

प्रकरण क्रमांक 91/अ–2/16–17

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित उपयोग से जनहित में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न नहीं हो ऐसी व्यवस्था स्वयं को करना होगी ।
7. प्रार्थी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर जल–मल निकासी, विद्युत व्यवस्था अपने व्यय से करना होगी
8. प्रार्थी द्वारा आवेदित प्रयोजन के अलावा अन्य उपयोग नहीं किया जावेगा ।
9. प्रार्थी द्वारा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश इंदौर से अनुमोदित नक्शे एवं शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा ।
10. प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पर निर्मित क्षेत्र के अलावा रिक्त भूमि पर सघन वृक्षारोपण करना होगा ।
11. प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि का पटवारी/राजस्व निरीक्षक से विधिवत सीमाकन कराये जाने के उपरांत ही विकास/निर्माण कार्य किया जा सकेगा।
12. आवेदक द्वारा प्रस्तावित उपयोग से जनहित में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न न हो यह व्यवस्था अनिवार्यतः सुनिश्चित की जाना होगी।
13. आवेदक यह सुनिश्चित करे आवेदित भूमि पर मास्टर प्लान 2021 में प्रस्तावित रोड़ की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावें तथा निर्धारित भूमि छोड़ी जावें।
14. आवेदित भूमि किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग द्वारा जन–हित में नियमानुसार अर्जन की जाती है तो प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से आपत्ति नहीं होगी।
15. प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि के समीपस्थ शासकीय/मंदिर/ रास्ता/चरनोई/शासन की योजना की भूमि या अन्य मद की भूमि हो तो उस पर किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण नहीं किया जा सकेगा ।

उपरोक्त व्यपवर्तन की अनुज्ञा के साथ निर्धारित शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर यह आदेश निरस्त माना जावेगा । बाद प्रकरण में नियमानुसार मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(4)(5)(6) के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी ।

<u>आदेश खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।</u>

(नरेन्द्र पाण्डेय)
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
अनुभाग देपालपुर, जिला इन्दौर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुभाग-देपालपुर, जिला इन्दौर म०प्र०

(डायवर्शन, पुनर्निर्धारण आदेश की सूचना)
(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के अंतर्गत)
(कलेक्टर महोदय की भूमि परिवर्तन शाखा के आदेश कमांक 678 दिनांक 31.05.2002)
(प्रकरण कमांक 9 / अ–2 / 2016–17 आदेश दिनांक 27/5/17)

भूमि स्वामी / आवेदकगण का नाम – प्रीमियर प्रोडक्टस तर्फे पार्टनर जय पिता राजेश चौरडिया
पताः– 6 / 7 वाय.एन.रोड इन्दौर
अंजली पति अजयसिंह वसूदी
पताः– 1437 स्किम न. 114 पार्ट 1 विजय नगर ईन्दौर

ग्राम जिसमें भूमि स्थित है – ग्राम मुरादपुरा तहसील देपालपुर जिला इन्दौर
सर्वे नंबर – 72 / 1
कुल रकबा – 0.104
आवेदित भूमि का प्रयोजन – औद्योगिक प्रयोजन ।
भू–राजस्व का पुर्ननिर्धारण – ग्राम मुरादपुरा तहसील देपालपुर, स्थित आवेदित भूमि पर भू–राजस्व का पुनर्निर्धारण रूपये 1448 /– पचांयत उपकर रुपये 724 / प्रतिवर्ष, वर्ष 2016–17 से तथा प्रीमियम रूपये 7239 /– कायम किया जाता है।

(नरेन्द्र पाण्डेय)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुभाग–देपालपुर, जिला इन्दौर
देपालपुर, दिनांक 27/5/17

पृ0 कमांक / 1139 / री–1 / 2017
प्रतिलिपि–

1. कलेक्टर (भूमि परिवर्तन–कम्प्यूटर शाखा) जिला इन्दौर की ओर उक्त आदेश अमल दरामद हेतु।
2. जिला पंजीयक / उप पंजीयक, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर की और डायवर्शन आदेश अमल दरामद हेतु ।
3. अधीक्षक भूमि परिवर्तन / राजस्व निरीक्षक, ग्राम मुरादपुरा तहसील देपालपुर जिला इन्दौर की ओर डायवर्शन बी–1 में डायवर्शन आदेश अमल दरामद कर वसूली हेतु प्रेषित ।
4. नायब तहसीलदार, टप्पा बेटमा तहसील देपालपुर जिला इन्दौर की ओर पटवारी रेकार्ड में अमल दरामद हेतु।
5. पटवारी ग्राम मुरादपुरा, तहसील देपालपुर की ओर रेकार्ड में अमल दरामद हेतु।
6. आवेदक– प्रीमियर प्रोडक्टस तर्फे पार्टनर जय पिता राजेश चौरडिया पताः– 6 / 7 वाय.एन.रोड इन्दौर अंजली पति अजयसिंह वसूदी पताः– 1437 स्किम न. 114 पार्ट 1 विजय नगर ईन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालन हेतु।

27/5/17
(नरेन्द्र पाण्डेय)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुभाग–देपालपुर, जिला इन्दौर

2 रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY